

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 18/2026

Dinesh Ahuja Son Of Late Smt. Ratan Ahuja,

----Appellant

Versus

Smt Krishna Devi Wife Of Shri Satya Narayanji,

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. R.K.Mathur Sr. Adv. with Mr. Rakesh Kumar Mr. Aayush Goyal
For Respondent(s)	:	Mr. Laxmi Nivas Koli for Mr. Manoj Kumar Bhardwaj

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

15/01/2026

यह सिविल प्रथम अपील अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से पेश की गई है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि पूर्व में उन्होंने आलौच्य निर्णय एवं डिक्री जो कि एकपक्षीय पारित की थी को अपास्त करने के लिए आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र पेश किया जो निरस्त हो गया था। उस आदेश की सिविल विविध अपील पेश की गई जो 340/2025 पर दर्ज होकर लम्बित थी। उस प्रकरण में दिनांक 17.12.2025 को न्यायालय ने उन्हें नियमित सिविल प्रथम अपील दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी और डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित की गई थी।

उनका कथन है कि प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री भारद्वाज के ससुर की मृत्यु होने के कारण आज वे उपस्थित नहीं हुए हैं। उन्होंने पूर्व में निष्पादन की कार्यवाही पर स्थगन सम्बन्धी आदेश को विस्तृत करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह अण्डरटेकिंग दी कि वे निष्पादन की कार्यवाही को दिनांक 29.01.2026 तक Pursue नहीं करेंगे। उनकी अण्डरटेकिंग दिनांक 29.01.2026 तक के लिए ही प्रभावी मानी जावे।



[CFA-18/2026]

उक्त अण्डरटेकिंग को देखते हुए पूर्व में पारित स्थगन आदेश को दिनांक 29.01.2026 तक विस्तृत किया जाता है।

प्रकरण दिनांक 29.01.2026 को सूचीबद्ध हो।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /101